

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-३/१, आग्नेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर  
क्रमांक एफ.९(४) छात्र./आप./सा.न्या.अ.वि./२००९/६२९०७-६३१५५ जयपुर, दिनांक: ३०/०८/२०१२

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
2. निदेशक, (प्रशिक्षण), तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
4. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. प्राचार्य, राजकीय ..... महाविद्यालय ..... जिला .....
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक .....
7. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज, .....
8. प्रधानाचार्य, राजकीय.....पोलीटेक्निक / महिला पोलीटेक्निक कॉलेज, .....
9. जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी.....

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में लगाये जाने वाले वार्षिक आय प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पूर्व में परिवार की वार्षिक आय के प्रमाण पत्र के रूप में विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र मान्य था।

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प 13(34)राज./ग्रुप-१/2012 दिनांक ९.८.२०१२ के अनुसार अब आय प्रमाण पत्र के स्थान पर उद्घोषणा/शपथ पत्र मान्य होगा। अतः वर्ष २०१२-१३ से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विभाग द्वारा पूर्व में जारी आय प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप के स्थान पर राजस्व विभाग के परिपत्र प 13(34)राज./ग्रुप-१/2012 दिनांक ९.८.२०१२ (संलग्न) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार माता-पिता/अभिभावक का आय संबंधी उद्घोषणा/शपथ पत्र लिया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
आयुक्त

राजस्थान सरकार  
राजस्व(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक: प.13(34)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : १०.८.२०१२

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त  
राजस्थान
2. समस्त जिला कलक्टर्स  
राजस्थान

:- परिपत्र :-


राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु मात्र मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 1.8.2012 को सम्पूर्ण हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने हेतु राजस्व विभाग का नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अमल में लाई जानी है :-

1. राजस्व अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, अपितु प्रार्थी/आवेदक स्वयं द्वारा अपनी आय का उदघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके समर्थन में आवेदक को प्रमाणित शपथ-पत्र, व दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी।
2. दो उत्तरदायी व्यक्तियों में (संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/ नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/ कर्मचारी) होंगे। उक्त उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
3. आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय उदघोषणा पत्र का प्रारूप परिशिष्ट- 'अर्द्ध' एवं शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट- 'जे' अनुसार होगा। (परिशिष्ट संलग्न हैं)
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार)/नोटेरी पब्लिक द्वारा किया जायेगा। जिला कलक्टर द्वारा इस हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन किया जा सकेगा।
5. आयकर रिटर्न भरने की दशा में गत वर्ष के आयकर रिटर्न की पावती की

सत्य प्रतिलिपि एवं पैनकार्ड की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

6. बीपीएल कार्ड धारकों के लिये बीपीएल कार्ड को ही आय के लिये मान्य समझा जावेगा, उनसे पृथक से आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त वर्णित प्रारूप/आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के नहीं किये जायेंगे। सम्पूर्ण राज्य में उदघोषणा पत्र एवं शपथ समान होगा। परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना कराना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से  
  
 (अन्तर सिंह)  
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, मा० मुख्य सचिव
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिदरिता विभाग
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
9. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

शासन उप सचिव ॥

## आय का घोषणा पत्र

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ से चयन करें)

1. प्रार्थी का नाम\*

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

2. पिता का नाम\*

3. निवास स्थान का पूर्ण पता\*

(क) वर्तमान पता :-

(उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

(ख) स्थाई पता :-

4. गाँव / शहर\*

तहसील\*

जिला\*

5. जन्म दिनांक:

जन्म स्थान

उम्र

6. लिंग\*

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति : विवाहित

अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)\*:

जाति\* :

उप जाति\*

8. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं?

हाँ

नहीं

9. क्या आप आयकर दाता हैं\*?

हाँ

नहीं

10. मोबाइल नम्बर

11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बर ..... एवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर ..... एवं वाणिज्यिक कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	उम्र	सम्बन्ध मुखिया से	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रुपये)

अन्य स्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड).....

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ—पत्र संलग्न है।

मैं तसदीक करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक: ..... / ..... / .....

स्थान .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

शपथ पत्र



प्रार्थी का फोटो

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....उम्र.....निवासी.....  
तहसील.....जिला.....राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ :—

1. यह कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष.....) के प्रमाण स्वरूप में उद्धोषणा करनी है ।
2. यह कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष.....) के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्रार्थी से सम्बन्ध	वार्षिक—आय रूपये में
	योग			.....

3. यह कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि/व नोशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है:—

गाँव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिंचित/असिंचित	वार्षिक आय

4. यह कि मेरे परिवार में अन्य स्त्रोतों से आय निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	आय के अन्य स्त्रोत (यथा भवन सम्पति किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड आदि से आय)	वार्षिक आय
	कुल समस्त वार्षिक आय	चरण (पैरा) सं. 2,3,4 का योग

5. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल समस्त वार्षिक आय..... रूपये अक्षरे..... रूपये है ।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता /करती हूँ कि मेरे व मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा न ही इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ।

7. मैं शपथ पूर्वक कथन करता /करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथ पूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।

### हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

#### सत्यापन

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

### हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

#### हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.....

2.....

(नाम, पता स्थान व दिनांक सहित)

#### प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम..... पिता का नाम..... जाति..... उम्र.....  
निवासी..... ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है । प्रार्थी की पहचान..... के द्वारा की गई है ।

स्थान  
दिनांक

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक)  
का नाम व पद मय सील

## उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम  पद 

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री निवासी को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वार्षिक आय  रूपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम..... दिनांक ..... स्थान .....

(ii) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम  पद 

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री निवासी को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वार्षिक आय  रूपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम..... दिनांक ..... स्थान .....

नोट :— आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशाषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें। उत्तरदायी व्यक्ति यथा — संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद् सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेडमास्टर/सम्बन्धित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के चिकित्सक/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता